रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244065 CG-DL-E-02032023-244065

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] No. 126] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2023/फाल्गुन 11, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2023/PHALGUNA 11, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023

(सं. 01/2023 – सेवा कर)

सा.का.नि. 162(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 65ख के उपवाक्य (55), केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 के नियम 3, सेवा कर नियम, 1994 के नियम 3 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उप-धारा (2) के उपवाक्य (इ) और (च), के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के उपवाक्य (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम् सीमा शुल्क बोर्ड भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना संख्या 22/2014- सेवा कर दिनांक 16 सितंबर, 2014 में आगे निम्नलिखित और भी संशोधन करता है, यथा :-

1442 GI/2023 (1)

उक्त अधिसूचना में, तालिका में क्र.सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, यथा:-

क्र.सं.	अधिकारी	जिन अधिकारियों के अधिकारो का प्रयोग किया जाना है
(1)	(2)	(3)
"8क	अपर सहायक निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना या अपर सहायक निदेशक, लेखा	अधीक्षक "।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. CBIC-110267/100/2022-CX-VIII अनुभाग- सीबीईसी]

रूबल सरोहा, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 22/2014- सेवा कर दिनांक 16 सितंबर, 2014 को सा.का.िन 650(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2023

(No. 01/2023 - SERVICE TAX)

G.S.R. 162(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with clause (55) of section 65B of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), rule 3 of the Central Excise Rules, 2017, rule 3 of the Service Tax Rules, 1994 read with clause (e) and (f) of sub-section (2) of section 174 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, notification no. 22/2014- SERVICE TAX dated 16th September, 2014, namely:-

In the said notification, in the Table after Sl. No. 8 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:

Sl. No.	Officers	Officers whose powers are to be exercised
(1)	(2)	(3)
"8A.	Additional Assistant Director, Goods and Services Tax Intelligence or Additional Assistant Director, Audit	Superintendent".

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. CBIC-110267/100/2022-CX-VIII SECTION-CBEC]

RUBAL SAROHA, Under Secy.

Note:-The principal notification No. 22/2014- SERVICE TAX, dated 16th September, 2014 was published in the Gazette of India, *vide* G.S.R. 650 (E), dated 16th September, 2014.